

परिशिष्ट छ
[नियम 31 (2)(च) एवं 98 देखिये]
पूर्णता प्रमाणपत्र एवं अभियोग के लिये प्रारूप

मैं, एतद्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक भू-खण्ड क्रमांक मंजूरी रेखाकों के अनुसार को पूर्ण हुआ है, देखिये क्रमांक दिनांक कार्य मेरे सर्वोत्तम समाधान, कारीगरी के अनुसार पूर्ण हुआ है तथा सभी सामग्री (प्रकार तथा श्रेणी) का उपयोग तथा सामान्य तथा विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार किया गया है, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंध, की गई अध्यापेक्षा, विहित शर्त का जारी आदेश का उल्लंघन कार्य के दौरान नहीं किया गया है, भूमि ऐसे निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त है जिस प्रयोजन से उसका विकास या पुनर्विकास किया गया है अथवा भवन ऐसे उपयोग के लिये उपयुक्त हैं जिस प्रयोजन के लिये उसका विकास या पुनर्विकास किया गया है अथवा भवन ऐसे उपयोग के लिये उपयुक्त है जिस प्रयोजन के लिये उसका निर्माण उसमें परिवर्तन तथा वृद्धि की गयी है।

मैं एतद्वारा सभी दृष्टियों से पूर्ण भवन के रेखांक भी संलग्न करता हूँ।
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंध, की गई अध्यापेक्षा, विहित शर्त या जारी आदेश का उल्लंघन कार्य के दौरान नहीं किया गया है।

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/परिवेक्षक.....

नगर निवेशक के हस्ताक्षर

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/परिवेक्षक.....

नगर निवेशक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/परिवेक्षक.....

नगर निवेशक की अनुज्ञप्ति का क्रमांक

वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/परिवेक्षक.....

नगर निवेशक का पता.....

उपरोक्त वर्णित निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन पूर्ण किये गये हैं। कृपया मुझे उक्त भवन के लिये दखलकारी अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर)